



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

विमानपत्तन निदेशक (सी.एन.एस./ए.टी.एम.) का कार्यालय
O/o THE AIRPORT DIRECTOR (C.N.S./A.T.M.)

संदर्भ / Ref. :

दिनांक / Date :

संदर्भ: एनपी/एरो/एन.ओ.सी/2014/01/2214/20559

दिनांक-23/01/2014

सेवा में,

Smt. Fatima S. Mammum Through
P.O.A. Holder Shri. Shabbir Vali.
Mount Road, Sadar,
Nagpur.

विषय:- प्रस्तावित केस नं- 012214/20559 के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना ।

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 23/01/2014 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को Smt. Fatima S. Mammum Through P.O.A. Holder Shri. Shabbir Vali., जिन्हें इस पत्र में आगे आवेदक कहा गया है, प्लॉट नंबर 2/1, मौजा- Jaripatka, खसरा, सिटी सर्वे क्रमांक - 2085, Nagpur, Maharashtra, पर प्रस्तावित भवन Height 34.20 Mtrs, (Three, Four Decimal Two, Zero meters) धरातल के उपर (Above Ground Level) उँचाई तक का निर्माण करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन का निर्माण पूरा होने पर संरचना उँचाई 34.20 मीटर (Above Ground Level) धरातल के उपर +320.00 मीटर स्थल उत्थापन (Site Elevation) =354.20 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S.L.) से अधिक न हो ।

यह अनापत्ति प्रमाणपत्र इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्थापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात् 320.00मीटर घर का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.पी. / धाव पथ के सिरों से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए हैं । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिद्ध हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आंकड़ों से भिन्न है और इसके द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकड़ों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्गमन भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जानेवाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित उँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी. अँन्टेना, तडित चालक / निरोधक सीढियाँ, गुमटी, उँची पानी की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की सामुग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएंगे ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली भट्ठी का ही प्रयोग करना अनिवार्य है ।

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 5 (Five) वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा । यदि भवन/संरचना का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 5 (Five) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / विमानपत्तन निदेशक, नागपुर विमानक्षेत्र से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । जिस दिन भवन/संरचना का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा.वि.प्रा./विमानपत्तन निदेशक, नागपुर विमानक्षेत्र को दी जाए ।

(NOC for Height Clearance Only)

**"The permissible top elevation / height includes height for superstructures
(eg. Wireless, TV antennas, Munties, Lift
Machine room, Overhead Water tanks, cooling towers etc)"**

**Day & Night markings with secondary power supply
may be provided as per ICAO standard**

**This NOC is issued with the approval of competent authority,
as per S.O.84 (E).**

(सुमन हलदर)

संयुक्त महाप्रबंधक(एटीएम)

एटीसी प्रभारी

प्रतिलिपी :-

- 1) सी. ओ. .ओ.,एम.आई.पी.एल. नागपुर हवाईअड्डा, नागपुर.
- 2) नागपुर महानगर पालिका, द्वितीय तल, नारंग टॉवर, पाल्म रोड, सिविल लाईन्स,
नागपुर-440001
- 3) गार्ड फाईल.